प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
विद्या इण्टरनेशनल स्कूल
1296/86 फाउन्डरी नगर, आगरा ।

पत्रांक/परिषद/आर0/16700-16704/99-2000 दिनांक- 4-10-99

विषय- अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा-6 से -8 तक) की अस्थाई, मान्यता के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या/646/15-6-97-18(एम)/89 दिनांक 13 अगस्त 1997 द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक- 04/10/99 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा-6 से -8 तक की अस्थाई मान्यता निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है ।

1- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के पत्रांक/मान्यता/20813-889/ /89-90 दिनांक 21 मार्च 1990 के द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में मान्यता पत्र निर्गत करने की तिथि के बाद पडने वाली एक जुलाई से प्रभावी होगी ।

2- प्रबन्धाधिकरण को विद्यालय के सुचारू संचालन के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने होंगे ।

3- विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निहित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्य क्रम में न तो शिक्षा दी जाएगी, और न पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जाएगा ।

4- बेसिक शिक्षा परिषद अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबन्धों का तथा परिषद द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समय-2 पर जारी किये गये निर्देशों का पालन संस्थाधिकारियों को करना होगा ।

5- विद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान महगाई भत्ता दिया जाएगा जो परिषद के समान अर्हता वाले शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी को प्राप्त हो रहे होंगे । वेतन का भुगतान चेक द्वारा बैंक के माध्यम से उनके खातों में अन्तरण के द्वारा किया जाएगा ।

6- विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जाएगा ।

7- विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जाएगी, सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा ।

8- विभागीय नियमों/आदेशों की अवहेलना करने पर तथा किसी तथ्यों को छुपाये जाने पर मान्यता का प्रत्याहरण करने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित होगा ।

9- यदि विद्यालय विभाग द्वारा निर्धारित मान्यता की समस्त शर्तों को पूर्ण नही करता है तो मान्यता का प्रत्याहरण का अधिकार विभाग एवं सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित होगा ।

———2———